बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

सं0सं09/कोर्ट–10–28/2015

अधिसूचना

जिला पदाधिकारी सुपौल के पत्रांक–2472–2/गो0 दिनांक12.12.2014 के द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आधार डा0 उमाशंकर मधुप, तत्कालीन सिविल सर्जन सुपौल के विरूद्ध कर्तव्य पें बरती गई लापरवाही, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर कारगर ढंग से नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0–814(9) दिनांक–09.09.2015 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया, तथा विभागीय संकल्प संख्या–815(9) दिनांक–10.09.2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

डा0 उमाशंकर मधुप (निलंबित) सिविल सर्जन सुपौल ने इस विभागीय अधिसूचना सं0–814(9) दिनांक–09.09.2015 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका सं0–16511/2015 दायर किया गया। जिसे माननीय उच्च–न्यायालय द्वारा दिनांक–21.10.2016 को निम्नांकित आदेश पारित करते हुए निष्पादित किया गया है:–

" In the circumstances discussed and having heard learned counsel for the parties, for the present, I deem it fit and proper to dispose of the writ petition with a direction to the Disciplinary Authority to pass final order on the disiplinary proceeding in accordance with, law wihtin a maximum period of six weeks froms today failing which they should consider the prayer of the petitioner for revocation of suspension and pass apporpriate order in that regard, to be passed with in the same period ".

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम के निष्कर्ष स्वरूप आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण अधिगम से असहमत होते हुए, डा0 उमाशंकर मधुप को सक्षम प्राधिकार द्वारा निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही को निष्पादित करने का निर्णय लिया हैं:–

(क) डा0 उमाशंकर मधुप को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्ति के बाद अपना योगदान मुख्यालय स्थापना प्रशाखा–3 स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना में देगे।

(ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावें शेष राशि देय नही होगा/लेकिन उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

(ग) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव,

स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक: 1288 (9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 07/12/2016

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E:\NARESH GUpTA\Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Notification correction.docx

प्रतिलिपिः– स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना स्थापना शाखा–3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 उमाशंकर मधुप, तत्कालीन सिविल सर्जन सुपौल सम्प्रति (निलंबित) मुख्यालय प्रशाखा–3 स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना/जिला पदाधिकारी सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव (स्वा0) के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव